

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)**

जयप्रकाश पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत नि० गिगलाना तह० नीमराना वगै०  
बनाम

जितेन्द्र सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत नि० गिगलाना तह० नीमराना वगै०  
नं० 135 सन् 2021


मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आ०टी०ए०एवट

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्म जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम की तामिल  
में जारी हुए

28.06.2021 आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित आये। प्रा० पत्र अतिआवश्यक प्रकृति का है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1017, 1018, 1240, 942 ग्राम गिगलाना तह० नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्योंकि उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 04.08.2021 को पेश हो।

  
जयप्रकाश अधिकारी  
नीमराना (अलवर)

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
दुपहर की तामिल  
में जारी हुए

11-7-25 आज यह पत्रवाली पेश हुई है।  
अधिकतम उपस्थित है। तलाश (यदि सम्भव  
चाहते है। पत्रवाली वास्ते ...  
दिनांक ... को पेश हो।

उप जिला न्यायाधीश  
नीमराणा (अहकाम)

07-8-25 आज यह पत्रवाली मूल वाद के  
साथ पेश हुई। पत्रवाली में मूल वाद नोट  
प्रेस में रिवारिज हो चुका है। अतः प्र.पत्र  
भी इसी स्टेज पर ड्राप कर नोट प्रेस में  
रिवारिज किया जाता है। पत्रवाली फंसल  
शुमार होकर नम्बर हो कम हो। मूल  
मूल वाद रहे।

Not press  
25/8/25  
07/8/25

उपस्थित अधिकारी  
नीमराणा (कोरपुल्ल-करोव)

नीमराणा  
नीमराणा

नीमराणा  
नीमराणा

नीमराणा